


(रा.प्र. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय  
सिवाना सिवा बालोतरा  
(सकसबान)

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम सिरीया की जमाबन्दी संवत् ..... के खाता संख्या 265/158 में मेरा/हमारे नाम अशोक कुमार श. सोनार, अशोक श. सोनार दर्ज है जो अशुद्ध है, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम अशोक चौधरी श. सोनार है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।  
दिनांक :-

  
हस्ताक्षर प्राथी/प्रार्थीगण

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

सत्यजित दस्तवेज अनु. अशोक श. सोनार के स्थान पर अशोक चौधरी श. सोनार नाम शुद्ध करने की अनुज्ञा की जाती है।



रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार



रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

Gens. No - 2025/662

आदेश

तहसीलदार समदडी

क्रमांक 1025/158/688 दिनांक 16-10-2025  
रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम सिरीया की जमाबन्दी संवत् 2077 के खाता संख्या 265/158 में अशोक कुमार सोनार, अशोक श. सोनार के बजाय अशोक चौधरी श. सोनार सूचक इन्द्राज

अशोक चौधरी श. सोनार के नाम की स्वीकृति प्रदान की जाती है अशोक चौधरी श. सोनार आल दरगव की कार्यवाही की जावे ।



उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)